#### <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—845 / 2005</u> <u>संस्थित दिनांक—02.12.2005</u> फाईलिंग क.234503000192005

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर जिला–बालाघाट (म.प्र.)

# // <u>विरूद</u> //

1—गेंदलाल उर्फ गेंदू पिता समारू वरकड़े, उम्र—40 वर्ष, जाति गोंड साकिन—ग्राम कोद्दापार, चौकी सोनगुड्डा, थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—माहू बैगा पिता नान्हू बैगा, (फौत घोषित) साकिन—ग्राम कोद्दापार, चौकी सोनगुड्डा, थाना रूपझर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

#### - <u>आरोपीगण</u>

### // <u>निर्णय</u> //

## (आज दिनांक-24/07/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी गेंदलाल के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा—5 का उल्लंघन करते हुए आयुध अधिनियम की धारा—25(1)(क) के अपराध के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—15.09.2005 को 04:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर एक राय होकर बिना अनुज्ञप्ति के भरमार बंदूक का निर्माण करते हुए पाए गए।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—15.09.2005 को थाना रूपझर के निरीक्षक बी.डी. बीरा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम कोद्दापार का पूर्व नक्सली गेंदू उर्फ गेंदलाल अपने साथी माहू बैगा के साथ भरमार बंदूक सुधारने का कार्य अवैध रूप से माहू बैगा के घर पर करता है। उक्त सूचना को रोजनामा सान्हा कमांक—517, दिनांक—15.09.2005 कर हमराह स्टॉफ सहायक उपनिरीक्षक कमल डेहिरया, प्रधान आरक्षक दयामणि पटले, आरक्षक कमांक—98 नेहरू, आरक्षक कमांक—90 राजेश को लेकर मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। राह से स्वतंत्र साक्षी मन्नूलाल मेरावी, माखन दोनों निवासी रूपझर को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर

साथ लेकर ग्राम मलधार पहुंचे जहां पर माहू बैगा के घर को हमराह फोर्स की सहायता से घेरा तथा पास पहुंचकर देखा तो माहू बैगा के घर के बाड़े में दो व्यक्ति बैठकर बसूले, हथौड़ा बजा रहे थे, जो पुलिस को देखकर भागने के लिए खड़े हुए तो फोर्स ने तत्काल घेराबंदी कर उन्हें रोका तथा एक व्यक्ति को सहायक उपनिरीक्षक कमल डेहरिया ने तथा दूसरे व्यक्ति को आरक्षक नेहरू ने पकड़ा। सहायक उपनिरीक्षक कमल डेहरिया ने जिस आरोपी को पकड़ा था उसने अपना नाम गेंदलाल उर्फ गेंदू उर्फ संजय पिता समारू वरकड़े निवासी कोद्दापार एवं दूसरे ने अपना नाम माहू पिता नान्हू बैगा निवासी ग्राम मलधार बताया था। दोनों आरोपीगण से शस्त्र लायसेंस के संबंध में पूछे जाने पर आरोपीगण ने लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी गेंदलाल के हाथ में एक भरमार बंदूक, एक हथौड़ा, एक लोहा काटने की आरी, खंडसी एक, एक छैनी, एक पेचकस बड़ा, छोटी सलाख 4 नग, एक कानस मौके पर साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी माहू बैगा के कब्जे से एक भरमार बंदूक, एक अधूरी भरमार बंदूक, एक पंखा, बसूला, कुल्हाड़ी, खंडसी एक, बिन्नी एक, छोटा पेचकस एक, लकड़ी के बने दो नट, दो रॉड, दो टायगर गार्ड, बर्मा एक आदि गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। उक्त के संबंध में आरोपी माहू बैगा ने बताया कि वह ग्राम कुँआगोंदी के जंगलिसंह का भान्जा है तथा उसी ने बंदूक बनाना व रिपेयरिंग करना सिखाया है। आरोपीगण के द्वारा अवैध रूप से भरमार बंदूक रखने एवं उसका लायसेंस नहीं होने के कारण उक्त कृत्य आयुध अधिनियम की धारा-25(1)(क) का पाए जाने से साक्षियों के समक्ष आरोपीगण से एक-एक भरमार बंदूक व अन्य सामग्री जप्त किया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध अपराध कमांक-161 / 2005, आयुध अधिनियम की धारा-25(1)(क) कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कर अनुसंधान के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्व किये गये, अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी गेंदलाल के विरूद्ध धारा—5 का उल्लंघन करते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) का आरोप पत्र विरचित किये जाने पर उसके द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपी गेंदलाल के द्वारा धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूठा फंसाया होना बताया गया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

## 4— प्रकरण में निराकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या आरोपी गेंदलाल ने दिनांक—15.09.2005 को 04:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर एक राय होकर बिना अनुज्ञप्ति के भरमार बंदूक का निर्माण करते हुए पाया गया ?

#### : : विचारणीय बिन्द् का निराकरण : :

- जप्ती अधिकारी बी.डी.वीरा (अ.सा.र) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया 5-है कि वह दिनांक-15.09.05 को थाना रूपझर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोदापार का पूर्व नक्सली गेंदु उर्फ गेंदलाल अपने साथी माहू बैगा के साथ भरमार बंदूक सुधारने का कार्य अवैध रूप से ग्राम मलधार में माहू बैगा के घर पर कर रहा है तथा वर्तमान में उसके पास बंदूक भी है। उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा 517, दिनांक-15.09.05 को उसके द्वारा 3:20 बजे दर्ज किया गया था। इस सूचना की तस्दीक हेतु उपलब्ध स्टॉफ ए.एस.आई. कमल डेहरिया, प्रधान आरक्षक माणिक पटले, आरक्षक नेहरू आरक्षक राजेश को साथ लेकर मोटरसाईकिल से रवाना हुए। ग्राम रूपझर से ही राहगीर पंचाग, मन्नू मेरावी और माखन गोंड को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर साथ लिया गया। बाद रवाना होकर ग्राम मलधार पहुंचे, जहां पर माहू बैगा के घर पर हमराही स्टॉफ और साक्षियों के साथ घर की घेराबंदी की। घर के बाड़े में हथीड़ी और बसूले की आवाज आ रही थी। जब बाड़े के पास पहुंचे तो दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, तब हमराही स्टॉफ ए.एस. आई कमल डेहरिया ने एक व्यक्ति को एवं आरक्षक नेहरू ने दूसरे व्यक्ति को पकड़ा। कमल डेहरिया ने जिसे पकड़ा था, उसने अपना नाम समारू गोंड निवासी कोद्दापार बताया था और आरक्षक नेहरू ने जिसे पकड़ा था उसने अपना नाम माहू पिता नान्हू बैगा निवासी ग्राम मलधार बताया था। उन लोगों से बंदूक सुधारने के लायसेंस या अनुज्ञप्ति के बारे में पूछे जाने पर उन लोगों ने नहीं होना बताया।
- 6— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी गेंदलाल के पास से एक भरमार बंदूक चालू हालत में एक हथौड़ा, एक लोहा काटने की आरी, एक छैनी, एक पेचकश, छोटी सलाख मौके पर गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—3 तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त जप्ती के उपरांत आरोपी गेंदलाल को मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—5 तैयार किया, जिस पर उसके

हस्ताक्षर है, उसने रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज कर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—9 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी—10 के अनुसार मुखबिर से सूचना प्राप्त होने की प्रविष्टि दर्ज की थी, रवानगी सान्हा प्रदर्श पी—11 एवं वापसी रोजनामचा सान्हा प्रदर्श पी—12, आरक्षक कमांक—456 के द्वारा लेख किया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त रोजनामचा सान्हा उसकी हस्तलिपि में दर्ज है। इस प्रकार साक्षी ने रोजनामचा सान्हा कथित आरक्षक के द्वारा लेख किये जाने के पश्चात् रोजनामचा सान्हा उसकी हस्तलिपि में लेख किये जाने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं।

कमल डेहरिया (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह 7— दिनांक-15.09.2005 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को करीब 3:00 बजे मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी बी.डी. वीरा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मलधार कोद्दापार का गेंदू उर्फ गेंदलाल अपने साथी माहू बैगा के साथ बंदूक सुधारने का काम अवैध रूप से कर रहा है। थाना प्रभारी द्वारा उपरोक्त सूचना पर सान्हा में दर्ज कर उसे व आरक्षक नेहरू, प्रधान आरक्षक मानिक पटले, आरक्षक राजेश को लेकर मोटरसाईकिल से सोनगुड्डा रवाना हो गए थे। राह में स्वतंत्र साक्षी मन्नूलाल और माखन मिले जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर ग्राम मलधार पहुंचे, जहां पर माहू बैगा के घर की घेराबंदी कर देखा कि बाड़ी में दो लोग कुछ बनाने का कार्य कर रहे थे, जो उन्हें देखकर भागने लगे, उसमें से एक व्यक्त को उसके द्वारा पकड़ा गया था, जिसका नाम गेंदलाल था और जिसे आरक्षक नेहरू ने पकड़ा था उसका नाम माहू था। गेंदलाल और माहू के पास एक हाथ की बनी भरमार बंदूक और माहू बैगा के पास एक अधूरी बंदूक और दोनों से लोहे की रॉड, पेंचीस, संसी, हथौड़ी, पंखी आधा बना बट, टायगर गांड और सलाखें मिली, जिसे थाना प्रभारी द्वारा उक्त दिनांक को शाम को थाना प्रभारी द्वारा जप्त किया गया। उसे जप्ती का समय ठीक से याद नहीं है। आरोपीगण से बंदूक रखने व बनाने के संबंध में वैध कागजात पूछे जाने पर उनके द्वारा वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया था।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी गेंदलाल ग्राम कोदापार का रहने वाला है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने जप्ती नहीं किया, इसलिए वह नहीं बता सकता कि क्या—क्या जप्त किया गया था, इस प्रकार साक्षी ने उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कथित जप्ती की कार्यवाही के अनुसार जप्ती किया जाना मुख्य परीक्षण में बताया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा क्या—क्या जप्त किया गया है, इसकी जानकारी न होने के कथन से कथित जप्ती की कार्यवाही का पूर्णतः समर्थन प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार साक्षी उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई कथित जप्ती कार्यवाही के संबंध में अपने कथन में रिथर नहीं रहा है।

9— साक्षी एस.एल. मेश्राम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—04.09.04 से कार्यालय जिला दण्डाधिकारी बालाघाट में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ है। थाना रूपझर के अपराध क्रमांक—163/05 में केस डायरी प्राप्त होने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी आकाश त्रिपाठी द्वारा धारा—39 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति दिया गया था। वह जिला दण्डाधिकारी आकाश त्रिपाठी के अधिनस्थ कार्य किये जाने के कारण उनके हस्ताक्षर से परिचित है। प्रकरण में संलग्न अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि वह आकाश त्रिपाठी के हस्ताक्षर से परिचित नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी में प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श कार्य के हस्ताक्षर से परिचित नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

उधोप्रसाद तिवारी (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—13.11.05 को आर्म्स लिपिक के पद पर पुलिस लाईन बालाघाट में पदस्थ था। उसके द्वारा तीन भरमार बंदूक का पत्र कमांक—बी/05, दिनांक—11.11.05 के संदर्भ में परीक्षण किया गया था। जिसका परीक्षण कर उसके द्वारा प्रदर्श पी—8 की रिपोर्ट दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त भरमार बंदूक शासकी आर्म्स नहीं थी और चालू हालत में नहीं थी, जो कि अनुपयोगी थी। उक्त पेश बंदूकों में से एक भरमार बंदूक चालू हालत में थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी—8 की रिपोर्ट में तीन भरमार बंदूक का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उल्लेख किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि तीनों भरमार बंदूक में कोई नंबर नहीं था। प्रकरण में आरोपी गेंदलाल से कथित एक भरमार बंदूक जप्त होना बताया गया है, जबिक अन्य आरोपी से दो भरमार बंदूक जप्त होना बताया गया है, जबिक अन्य आरोपी से दो भरमार बंदूक जप्त होना बताया गया है, किन्तु किसी भी जप्तशुदा बंदूक का नंबर का उल्लेख न होने से यह स्पष्ट नहीं होता कि उक्त साक्षी ने किस आरोपी से जप्त की गई भरमार बंदूक को चालू हालत में बताया है। इस प्रकार आरोपी गेंदलाल के विरुद्ध उक्त साक्षी के कथन का अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

11— मनीष पटले (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—05.08.05 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक—05.08.05 को उपनिरीक्षक बी.डी.वीरा के साथ ग्राम मलधर में हमराह स्टॉफ के रूप में गया था। उक्त आरोपीगण के पास से भरमार बंदूक मिली थी एवं बनाने का सामान मिला था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त भरमार बंदूक चालू थी या बंद उसे जानकारी नहीं है तथा वह यह भी नहीं बता सकता कि आरोपीगण से कितने बंदूक जप्त की गई थी। इस प्रकार साक्षी ने विभागीय साक्षी होते हुए भी उसके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किये जाने से उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती है।

12— माखनसिंह (अ.सा.3) एवं मन्नूलाल (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि वे आरोपीगण को नहीं जानते तथा उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। साक्षीगण ने जप्तीपंचनामा व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—2 लगायत प्रदर्श पी—5 पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु उन्हें पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने कथित जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेजों पर उन्होंने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही के उक्त दोनों स्वतंत्र साक्षीगण ने जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

13— प्रकरण में मात्र जप्ती अधिकारी बी.डी.बीरा (अ.सा.7) ने ही उसके द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में अभियोजन का समर्थन किया है, किन्तु स्वयं अन्य विभागीय साक्षीगण तथा स्वतंत्र साक्षीगण ने उक्त जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त जप्ती अधिकारी ने आरोपी गेंदलाल से एक भरमार बंदूक तथा अन्य आरोपी माहू बैगा से दो भरमार बंदूक जप्त किया जाना बताया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि कथित भरमार बंदूक को परीक्षण कराने पर किस आरोपी के आधिपत्य से पाई गई भरमार बंदूक चालू हालत में पाई गई थी। ऐसी दशा में यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि आरोपी गेंदलाल से चालू हालत में भरमार बंदूक जप्त की गई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार कथित जप्ती की कार्यवाही का स्थान अन्य आरोपी माहू के मकान के रूप में दर्शित किया गया है तथा मौके पर आरोपी गेंदलाल के भागने पर कथित घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया है। ऐसी दशा में

आरोपी माहू के घर से की गई कथित जप्ती को आरोपी गेंदलाल के आधिपत्य से कथित जप्ती का बताया जाना संदेहास्पद हो जाता है।

14— प्रकरण में एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जप्ती, गिरफतारी एवं फरियादी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई है और संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की गई है। यह सही है कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जप्ती एवं गिरफतारी कार्यवाही करने के उपरांत उसे प्रकरण में शेष अनुसंधान कार्यवाही एवं फरियादी के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने के अधिकार की समाप्ति नही हो जाती और केवल इस कारण की एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर लेने से मामला संदेहास्पद नहीं होता, किन्तु जहां एक ही पुलिस अधिकारी के द्वारा संपूर्ण कार्यवाही अकेले के द्वारा आरोपित मामले जैसे अपराध में की हो, वहां उसकी कार्यवाहियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता होना आवश्यक है तथा ऐसी कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। प्रकरण में जिन संदेहास्पद परिस्थितियों को अभियोजन ने दूर नहीं किया है, उक्त तथ्यों को विचार में लिए जाने पर जप्ती अधिकारी के द्वारा मामलें में संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही, जप्ती कार्यवाही, प्राथमिकी दर्ज किया जाना भी बचाव पक्ष के द्वारा लिये गए बचाव को बल प्राप्त होता है कि आरोपी गेंदलाल के विरुद्ध असत्य मामला तैयार किया गया है।

15— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी गेंदलाल ने दिनांक—15.09.2005 को 04:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर एक राय बिना अनुज्ञप्ति के भरमार बंदूक का निर्माण करते हुए पाया गया। फलस्वरूप आरोपी गेंदलाल को आयुध अधिनियम की धारा—5 का उल्लंघन करते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी गेंदलाल द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलका भारमुक्त किए जाते है ।
17— मामले में आरोपी गेंदलाल दिनांक—16.09.05 से दिनांक—03.05.06 तक एवं
दिनांक—29.04.15 से दिनांक—06.05.15 तक अभिरक्षा में रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से
धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो भरमार बंदूक व एक अधूरी भरमार बंदूक अपील अविध पश्चात् जिला शस्त्रागार बालाघाट भेजी जावें तथा शेष जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् नष्ट की जावे अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

ALINIAN PARENTA BUNTIN BETS SHIPS AND SHIPS OF THE PARENTA PAR

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट